राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अंतिम अद्यतन तिथि : 23.01.2026

–: भर्ती का अर्थना प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश :–

1. प्रत्येक पद विशेष हेतु पृथक्–पृथक् अर्थना प्रपत्र भर कर भेजें।
2. प्रपत्र के प्रत्येक भाग में पूर्ण सूचना अंकित करें व जो भाग लागू न हो, उन्हें अवश्य काट दें। इसके अभाव में पद को विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।
3. अर्थना प्रपत्र को अपूर्ण या अशुद्ध भरकर भेजने, विलम्ब से भेजने अथवा समय पर सूचना न देने आदि समस्त कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अधियानकर्ता (Requisition Authority) पर होगा और इसका उल्लेख आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में किया जायेगा।
4. आरक्षित पदों की रोस्टर प्रणाली के आधार पर निर्धारित संख्या अंकित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का ही होगा।
5. प्रपत्र के भाग–2 (ग) में निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक के अतिरिक्त अन्य आरक्षण अधीनस्थ सेवा में ही लागू होंगे। RAS&RTS प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत राज्य सेवा में NGE वर्ग को क्षैतिज आरक्षण देय है।
6. निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों की गणना राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 तथा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2019, 01.12.2021 एवं 10.08.2022 के अनुसार किया जावे।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/महिला वर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों को निम्न प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/नियोक्ता अर्थना में निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें:–
   - (a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को रिक्त रखते हुए अग्रिम तीन भर्ती वर्ष तक अग्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियों को व्यपगत मानते हुए उन्हें सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
   - (b) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
   - (c) किसी भी वर्ग के अंतर्गत पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से पद भरे जायेंगे।
   - (d) महिला वर्ग हेतु आरक्षण प्रवर्गवार क्षैतिज होने से विधवा एवं परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्तर–परिवर्तन कर भरा जायेगा। विधवा एवं परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उस वर्ग की सामान्य महिला से पद भरे जायेगें।
   - (e) भूतपूर्व सैनिक वर्ग के आरक्षित पद के विरूद्ध पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और ऐसी रिक्तियां आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित (बैकलॉग के रूप में) की जायेगी, तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत मानी जायेगी।
   - (f) निःशक्तजन वर्ग के आरक्षित पद के विरूद्ध किसी भर्ती वर्ष में पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित (बैकलॉग के रूप में) की जायेगी और आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः उसे निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर–परिवर्तन कर भरा जायेगा। यदि उस भर्ती वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो इस प्रकार की रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया से भर लिया जायेगा।
8. सामान्यतया आयोग द्वारा केवल उन्हीं पदों की भर्ती की जाती है जो कि संबंधित सेवा नियम सम्मिलित/विहित है, परन्तु यदि कोई पद से संबधित सेवा नियम नहीं बने हैं या पद को संबंधित सेवा नियमों के शिड्यूल में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उसके लिए निर्धारित योग्यता/अनुभव, आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट आदि के आदेशों/नियम की प्रति भी अर्थना के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
9. यदि पद नवीन वेतनमान में सम्मिलित नहीं है, तो वेतनमान/अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन वृद्धि से संबंधित आदेशों की प्रति अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें एवं इस संबंध में पृथक् से नोट भी अंकित करें।
10. यदि पद को विहित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से समाविष्ट किया गया हो, तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
11. पद से संबंधित योग्यताओं, अनुभव एवं आयु का विवरण पूर्ण रूप से यथास्थान भरें। **केवल नियमानुसार या यूनिवर्सिटी हैण्डबुक के अनुसार लिखना पर्याप्त नहीं है। यदि संबंधित भाग में लिखने के लिए स्थान अपर्याप्त रहता है, तो परिशिष्ट संलग्न करें।**
12. यदि योग्यता में ''मान्यता प्राप्त संस्था'' से शब्द हो तो मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें। यदि योग्यता में ''समकक्ष'' शब्द हो तो समकक्ष योग्यता की सूची/तत्संबंधी आदेशों की प्रति संलग्न करें। यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो, तो उसका पूर्ण उल्लेख करें कि वह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया हुआ हो।
13. अर्थना को प्रमाणित करने वाला अधिकारी व सक्षम अधिकारी अलग–अलग होने चाहिए एवं हस्ताक्षर के साथ उनका नाम एवं पदनाम अंकित किया जावें।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अंतिम अद्यतन तिथि : 23.01.2026

–: अर्थना प्रपत्र :–

भाग–1

(क) हिन्दी में

(इस भाग को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषा में भरें। आवश्यकतानुसार अलग–अलग पृष्ठ प्रयुक्त करें।)

(अर्थना प्रपत्र को आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप से भरकर भिजवावें तथा सूचना/तथ्यों से संबंधित परिशिष्ट आवश्यक रूप से संलग्न करें।)

1.	विभाग का नाम	
2.	विभाग का मुख्यालय, Email ID & Phone No.	
3.	पद का नाम	
4.	भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	
5.	पे–मेट्रिक्स लेवल (पुरानी ग्रेड–पे)	
6.	संबंधित सेवा नियम	
7.	अनिवार्य योग्यता	
8.	अधिमान्य योग्यता	
9.	अनुभव	
10.	न्यूनतम आयु सीमा	
11.	अधिकतम आयु सीमा	
12.	संबंधित सेवा नियम में पद का सेवा वर्ग (राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवा/मंत्रालयिक सेवा)	
13.	पद की प्रकृति (स्थाई/अस्थाई)	
14.	परीक्षा का स्वरूप (प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती)	
15.	परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	
16.	अन्य विशेष शर्तें/योग्यताएं	

भाग–1

(ख) अंग्रेजी में

1.	Name of Department	
2.	Headquarter of the Department, Email ID & Phone No.	
3.	Name of the Post	
4.	No. of Posts to be filled up	
5.	Pay Matrix Level (Old Grade Pay)	
6.	Relevant Service Rule	
7.	Essential Qualification	
8.	Preferential Qualification	
9.	Experience	
10.	Minimum Age Limit	
11.	Maximum Age Limit	
12.	Service Category of Post in Relevant Service Rule (State Service/Subordinate Service/Ministerial Service)	
13	Type of Post (Permanent/Temporary)	
14.	Mode of Recruitment (By Competitive Exam/Direct Recruitment by Interview)	
15.	Scheme and Syllabus	
16.	Other Specific Conditions/Qualifications	

भाग – 2 (Non SA क्षेत्र हेतु)

क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना							
क्र. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरूष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा	
1.	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)						
2.	अनुसूचित जाति						
3.	अनुसूचित जनजाति						
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग						
5.	अति पिछड़ा वर्ग						
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)						
7.	बारां जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति						

ख. बैकलॉग के पद (3 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड होने वाले पद)			
क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	रिक्ति वर्ष
1.	अनुसूचित जाति		
2.	अनुसूचित जनजाति		
3.	बारां जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति		
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
5.	अति पिछड़ा वर्ग		

ग. क्षैतिज आरक्षण														
विशेष योग्यजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	NGE	ME	DC	UR	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
B/LV	D., H.H.	LD/CP & Ors.	(a) I.D., M.I., S.L.D. & Autism (b) Mul. Dis.										

Abbreviations Used : B/LV – Blindness and low vision , D.- Deaf, H.H. – Hard of Hearing, LD/CP &Ors. – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. - Intellectual Disability, M.I. – Mental illness, S.L.D.- Specific learning disability, Mul. Dis.- Multiple disabilities, NGE –Non Gazetted Employee, ME- Ministerial Employee, DC- Departmental Candidate, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections.

नोट :–

1. विभाग द्वारा अर्थना प्रेषित करते समय निःशक्तजन की जिस श्रेणी हेतु पद आरक्षित रखा जाना है, उसका स्पष्ट रूप से अंकन राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 तथा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2019 के अनुसार अनिवार्य रूप से अर्थना प्रपत्र में करें।
2. यदि निःशक्तजन हेतु पद आरक्षित नहीं रखा जाना है तो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत् गठित कमेटी की रिपोर्ट अर्थना प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
3. **अजा/अजजा/OBC/MBC/विशेष योग्यजन व भूतपूर्व सैनिक के बैकलॉग के पद होने की स्थिति में उनका रिक्ति वर्ष/भर्ती वर्ष, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सामान्य प्रक्रिया से भरा जाना है अथवा नहीं भरा जाना है, इत्यादि का उल्लेख स्पष्ट रूप से अर्थना प्रपत्र में करें।**

–: प्रमाण–पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप हैं और कार्यकारी अनुदेशों (Executive Instruction) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

भाग – 2 (SA क्षेत्र हेतु)

क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना							
क्र. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरूष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा	
1.	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)						
2.	अनुसूचित जाति						
3.	अनुसूचित जनजाति						

ख. बैकलॉग के पद (3 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड होने वाले पद)			
क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	रिक्ति वर्ष
1.	अनुसूचित जाति		
2.	अनुसूचित जनजाति		

ग. क्षैतिज आरक्षण													
विशेष योग्यजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	NGE	ME	DC	UR	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
B/LV	D., H.H.	LD/CP & Ors.	(a) I.D., M.I., S.L.D. & Autism (b) Mul. Dis.										

Abbreviations Used : B/LV – Blindness and low vision , D.- Deaf, H.H. – Hard of Hearing, LD/CP &Ors. – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. - Intellectual Disability, M.I. – Mental illness, S.L.D.- Specific learning disability, Mul. Dis.- Multiple disabilities, NGE –Non Gazetted Employee, ME- Ministerial Employee, DC- Departmental Candidate, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections.

नोट :–

1. विभाग द्वारा अर्थना प्रेषित करते समय निःशक्तजन की जिस श्रेणी हेतु पद आरक्षित रखा जाना है, उसका स्पष्ट रूप से अंकन राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 तथा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2019 के अनुसार अनिवार्य रूप से अर्थना प्रपत्र में करें।
2. यदि निःशक्तजन हेतु पद आरक्षित नहीं रखा जाना है तो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत् गठित कमेटी की रिपोर्ट अर्थना प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
3. **अजा / अजजा / विशेष योग्यजन व भूतपूर्व सैनिक के बैकलॉग के पद होने की स्थिति में उनका रिक्ति वर्ष / भर्ती वर्ष, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सामान्य प्रक्रिया से भरा जाना है अथवा नहीं भरा जाना है, इत्यादि का उल्लेख स्पष्ट रूप से अर्थना प्रपत्र में करें।**

–: प्रमाण–पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप हैं और कार्यकारी अनुदेशों (Executive Instruction) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने से पूर्व रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित अर्थना की चेक लिस्ट

(इस चेक लिस्ट को भरकर अर्थना के साथ अवश्य भेजें।)

क्र.सं.	वांछित सूचना	उत्तर		टिप्पणी / संलग्नक संख्या
1.	क्या पद नियमों से संलग्न अनुसूची (Schedule) में सम्मिलित है ? (यदि नहीं तो उसका विवरण देकर उल्लिखित करें)	हाँ	नहीं	
2.	क्या विज्ञापित होने वाले पद में नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में नियम (Rule) व अनुसूची (Schedule) में कोई अंतर है ? (यदि हां तो उसे उल्लिखित करें)			
3.	क्या यह पद आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है ? (यदि यह पद आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तो क्या संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है)			
4.	क्या पदों को भर्ती हेतु विज्ञापित कराने से पूर्व कार्मिक व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? (यदि हां तो उसकी फोटो प्रति भेजें)			
5.	यदि अर्थना पदोन्नति के पदों से संबद्ध है, तो क्या पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई है ? (यदि हां तो उसकी फोटो प्रति भेजें)			
6.	क्या कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जानी है ? (यदि दी जानी है तो कितने वर्ष की देनी है, स्पष्ट करें)			
7.	**क्या इन पद / पदों की भर्ती प्रथम बार हो रही है ? (यदि पूर्व में यह भर्ती की गई है, तो उसका वर्ष / विज्ञापन संख्या लिखें)**			
8.	क्या पूर्व में यह भर्ती आयोग द्वारा की गई है ? (यदि पूर्व में यह भर्ती विभाग / अन्य द्वारा की गई है, तो उल्लेख करें)			
9.	क्या पद की योग्यता व अन्य विवरण अर्थना प्रपत्र पर नियमानुसार हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में अंकित कर दिए गए हैं ?			
10.	क्या समस्त आवश्यक आदेशों / परिशिष्ट आदि की फोटो प्रति अर्थना के साथ संलग्न की गई है ?			
11.	क्या भरे जाने वाले पदों की संख्या आरक्षण के अनुपात व रोस्टर के अनुरूप है ? यदि नहीं तो भिन्नता का कारण स्पष्ट करें। (सुविधार्थ आरक्षण के अनुपात / प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट संलग्न है, जिस वर्ग में निर्धारित अनुपात / प्रतिशत भिन्नता हो, उसे स्पष्ट करें।)			
12.	क्या अर्थना के साथ विभिन्न वर्गों को अधिकतम आयुसीमा में छूट दिये जाने संबंधी प्रावधानों की प्रति संलग्न कर दी गई है ?			

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

आरक्षण की अनुपात/प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट

(इसे नियमानुसार सामान्य स्थिति में बैकलॉग होने, रोस्टर में भिन्न क्रम होने, राज्य स्तर से निम्न संवर्ग होने, न्यायिक निर्णयाधीन होने या पृथक् राजकीय आदेश होने आदि के कारण भिन्नता आ सकती है, जिसे विभाग चेक कर लें।)

1. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना							
क्र. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (संबंद्ध वर्ग में अनारक्षित) **(कुल पदों का 70%)**	महिला (कुल पदों का 30%)			रिक्ति वर्ष
				सामान्य (कुल पदों का 20%)	विधवा (कुल पदों का 8%)	विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा (कुल पदों का 2%)	
1.	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)						
	सामान्य वर्ग (SA) **(कुल पदों का 50%)**						
2.	अनुसूचित जाति **(कुल पदों का 16%)**						
	अनुसूचित जाति (SA) **(कुल पदों का 5%)**						
3.	अनुसूचित जनजाति **(कुल पदों का 12%)**						
	अनुसूचित जनजाति (SA) **(कुल पदों का 45%)**						
4.	बारां जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति						
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग **(कुल पदों का 21%)**						
6.	अति पिछड़ा वर्ग **(कुल पदों का 5%)**						
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) **(कुल पदों का 10%)**						

2. क्षैतिज आरक्षण													
विशेष योग्यजन **(कुल पदों का 4%)**				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक **राज्य सेवा – 5%, अधीनस्थ सेवा – 12.5%**						उत्कृष्ट खिलाड़ी **(कुल पदों का 2%)**
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	NGE	ME	DC	UR	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
B/LV **(कुल पदों का 1%)**	D., H.H. **(कुल पदों का 1%)**	LD/CP & Ors. **(कुल पदों का 1%)**	(a) I.D., M.I., S.L.D. & Autism (b) Mul. Dis. **(कुल पदों का 1%)**										

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... पद से संबंधित सेवा नियम............................. ....(सेवा नियम का नाम) में अद्यतन संशोधनों को शामिल करते हुए सेवा नियम की प्रति भर्ती अर्थना के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त पद हेतु राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण प्रावधानों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रोस्टर पंजिका संधारित है व अद्यतन है तथा अर्थना प्रपत्र में अंकित पदों की संख्या का प्रस्तुत वर्गीकरण आरक्षण हेतु जारी नवीनतम दिशा निर्देशों, प्रावधानों एवं रोस्टर पंजिका के अनुसार है।

(हस्ताक्षर एवं नाम)

विभागाध्यक्ष / नियोक्ता प्राधिकारी